राजस्थान सरकार

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांक : एफ.5(1-ए)/आमुअ(श)/अप्र(मॉ.)/अभि० स्त्रोत/16-17/11884-12034 दिनांक 08/06/2016

समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त–जिला कलेक्टर

विषय:– राज्य में पूर्व निर्मित परम्परागत जल संग्रहण स्त्रोत बावड़ी, कुओं आदि का जीर्णोद्धार कर वर्षा जल का संचयन एवं भूजल भण्डार का कृत्रिम पुनर्भरण किये जाने बाबत।

विभागीय समीक्षा के दौरान माननीया मुख्यमंत्री महोदया, के निर्देशानुसार, औसत से अधिक वर्षा होने की सम्भावना को देखते हुए, राज्यभर में व्यापक स्तर पर तत्काल परम्परागत जल संग्रहण स्त्रोत जैसे बावड़ी, कुओं आदि का जीर्णोद्धार कर वर्षा जल का संचयन एवं भूजल भण्डार का कृत्रिम पुनर्भरण का कार्य वर्षा पूर्व किया जाना है। हमारे पूर्वजो ने प्राचीन समय से ही जल के महत्व समझा व इनके द्वारा पूर्व काल से वर्षा जल संग्रहण किया जाता रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों मुख्यतया सीकर, झुझूनूं जिले के शेखावाटी क्षेत्र में निर्मित बावडी/स्टेप वैल, कुएं व राज्य के पश्चिमी भाग में बनाये जाने वाले टांके, कुण्ड इसके प्रमुख उदाहरण है लेकिन वर्तमान परिपेक्ष्य में आज यह परम्परागत जल संरक्षण ढांचे जीर्णशीर्ण अवस्था में है व आस पास के क्षेत्रों का कूडा कचरा पात्र बनकर रह गये है। अब आवश्यकता है कि राज्य में स्थित इन परम्परागत ईकाइयों का जीर्णोद्धार कर पुनर्जीवित करें। इससे वर्षा जल को हाने से बचाया जा सकेगा व उक्त जल स्त्रोतो का जीर्णोद्वार पश्चात पेयजल हेतु उपयोग में भी लिया जा सकेगा।

अतः इस बाबत कृपया निम्न कार्यवाही कराकर दिनांक 17.06.2016 से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव तैयार करावें।

1. जिले के शहरी /ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बावडी /स्टेप वैल एवं कुंए आदि का सर्वेक्षण एवं चिह्निकरण।
2. चिह्नित ढांचों की फिजीबलिटी स्टडी।
3. विस्तृत लागत तखमीना।
4. जिले के शहरी क्षेत्रों हेतु जीर्णोद्धार का कार्य स्थानीय निकाय व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सम्पादित किया जाना है। इस कार्य हेतु राशि की स्वीकृति "मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान"(एमजेएसए) के अन्तर्गत दी जा सकेगी ।
5. जिले के ग्रामीण क्षेत्र हेतु जीर्णोद्धार का कार्य पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत सम्पादित कराया जा सकेगा। कार्य की उच्च प्राथमिकता को देखते हुए बावड़ी, कुओं आदि के जीर्णोद्धार कार्य हेतु राशि स्थानीय स्तर पर धार्मिक संस्थाओं व जनसहयोग के माध्यम से भी प्राप्त कर कार्य करवाया जावे।
6. राज्य स्तर पर मुख्य अभियंता(मुख्यालय), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर व जिले स्तर पर अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगें। निदेशक, जल और स्वच्छता समर्थन संगठन (WSSO),सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। भू जल विभाग के जिला स्तर अधिकारी उक्त कार्य में सहयोग करेगें।
7. जीर्णोद्धार के लिए चिह्नित बावड़ी, कुओं आदि के स्वामित्व को लेकर संशय की स्थिति में सम्बन्धित जिले के जिला कलेक्टर इन संरचनाओं को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नियमित रखरखाव, सुरक्षा एवं उपयोग हेतु हस्तान्तरित कर सकते हैं ।

17 JUN 2016

(हस्ताक्षर) 6/6/2016
(जे.सी. महान्ति)
प्रमुख शासन सचिव

S. E. (D) | S. E. (HQ) | ...
No. 1345
21/06/2016
Planning
T.A.-I | T.A.-II

11884-12034

क्रमांक: एफ 5(1-ए)/अभि(मु)/ह.जा.(मॉनी.)/अभि.स्त्रो.//16-17/ दिनांक 08/06/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदया, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, नदी जल आयोग, राजस्थान ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी एवं भूजल विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, सचिवालय जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं भूजल विभाग, सचिवालय जयपुर।
7. मुख्य अभियंता (मुख्यालय/ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, भूजल विभाग, जोधपुर।
9. अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, क्षेत्र .... (समस्त)।
10. निदेशक, जल एवं स्वच्छता समर्थन संगठन (WSSO), जयपुर।
11. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, वृत्त .... (समस्त)।
12. अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक, भूजल विभाग, जयपुर।

8/6/16

(सी0एम0 चौहान)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
राजस्थान जयपुर

Copy to following for n/a

1) SHG, GWD, Jodhpur/ Jaipur/ Udaipur/ Bikaner
2) SE & Nodal officer, GWD, Jaipur
3) Ex. Eng (civil), GWD, Jodhpur
4) Sr. Hydro, DSPC, GWD, Jodhpur

23/6